राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर एवं लोक अदालत :–

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को 100 दिवस का रोजगार पाने का विधिक अधिकार है।

इस योजना की विधिक जानकारी देने तथा योजना के अंतर्गत उत्पन्न विवाद / प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों "विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर" तथा "लोक अदालत" का आयोजन किया जाता है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. **उच्च न्यायालय स्तर पर** – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. **जिला स्तर पर** – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. **तहसील स्तर पर** – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. **सदस्य सचिव,** म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स
जबलपुर द्वारा विज्ञापित

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

लोक अदालत

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in
ईमेल: mplsajab@nic.in
Tollfree No. : 15100

लोक अदालत एवं मेगा लोक अदालत योजनाः–

नागरिकों को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती हैंः–

1. ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं,

2. ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। (प्रीलिटिगेशन)

किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण, अभिकरण, आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई भी विवाद तथा ऐसे सभी विवाद जिनमें समझौता कानून द्वारा वर्जित नहीं है, लोक अदालत द्वारा निराकृत कराये जा सकते हैं।

लोक अदालत/मेगा लोक अदालत के लाभ :–

1. पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।

2. समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।

3. लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापिस हो जाती है।

4. लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।

5. मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।

6. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

मेगा/राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजनः–

वर्ष में पूरे देश/प्रदेश में समस्त जिले में मेगा (वृहद्)/राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

किया जाता है जिसमें एक ही दिन में लाखों की तादाद में प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

लोक अदालत का आयोजन :–

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों तथा मुकदमेबाजी के पूर्व के विवादों (प्री–लिटिगेशन) को आपसी समझौते के

आधार पर निपटारा किये जाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः किसी भी शनिवार के दिन न्यायालयीन समय पर उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को न्यायालयीन समय पर किया जाता है। पक्षकारगण आवेदन देकर अपने मामले का निराकरण आपसी समझौता/सुलह के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।